न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
10/11/25 पत्रावली पेश। वकीलवादी व पैरोकार प्रतिवादी उप० वास्ते जवाब पैरोकार व तलबी (7) दिनांक 18/11/25 को पेश हो। SDO 10/11/25 पत्रावली इकजाई पेशी से पेश। वकील वादी व पैरोकार प्रतिवादी उप०। वास्ते जवाब पैरोकार व तलबी (7) दिन 18/11/25 को पेश हो। SDO 18/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पैरोकार प्रति० उप०। पत्रावली वास्ते जवाब पैरोकार व तलबी (7) दिनांक 02/12/25 को पेश हो। SDO 02/12/25 पत्रावली पेश। वकील वादी व पैरो. उप०। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली लम्बे समय से तलबी में विचाराधीन है। अत: पत्रावली O9 R5 non compliance के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर जमा हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।**

चेतराम बनाम कंचन गुर्जर
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02 / 109 / 2023

26.06.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि विवादीत आराजी खाता संख्या 25 खसरा संख्या 623 / 0.03 वाकै ग्राम पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर की सुरक्षा हेतु निर्मित डोल को तोड–फोडकर मिसमार न करें, ना ही राजस्व नक्शे में उक्त आराजी में होकर कोई रास्ता दर्शित करें, न करावे, ना ही आराजी में स्थित कुए को भरकर रास्ता कायम कर आमद रफत आरम्भ करें ना ही उक्त आराजी से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य करे, ना ही उक्त आराजी के उपयोग–उपभोग में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी के साथ व्यवधान उत्पन्न करें एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 03 / 07 / 2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादीत आराजी खाता संख्या 25 खसरा संख्या 623 / 0.03 वाकै ग्राम पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर में मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं नायब तहसीलदार राजगढ मौका रिपोर्ट प्राप्त हो। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 03 / 07 / 2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

03/07/23 पत्रावली पेश वकील प्रार्थी उप. P.O. सा. अन्य कार्यों में व्यस्त। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं. 1 लगा. 6 की तामील रसिद मय डिलेवरी रिपोर्ट पेश. जो शा. मि. हो पत्रावली दि. 22/9/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
रीडर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	02/12/25 पत्रावली पेश। प्रकरण मुलजिम 09R5 से खारिज किया जा चुका है। अतः प्रावधान धारा 192 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मुलजिम के साथ संलग्न हो।